


अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचौंकी(धनबाद)


अभिलेख सं० ३५(V) / 2016-17


वाद का प्रकार :- बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

पदाधिकारी आदेश	कृत का
<p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सहपटित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन- सह - विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या- 3 - खा०म०निति - 119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पटित राजस्व विभागगीय परिपत्र संख्या - 914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्र०अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-</p> <p>मौजा.....<u>शोणपुर</u>.....थाना नं०.....<u>५०</u>.....खाता नं०.....<u>१०५</u>.....</p> <p>प्लॉट नं०.....<u>१५५</u>.....रकबा.....<u>०.३७०</u>.....एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं०.....<u>१</u>.....के पृष्ठ संख्या.....<u>१५५</u>.....पर जमाबंदी रैयत <u>श्री सुव शंभू पिता चतरा शंभू</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नही उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशसित किया जाए।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>१७/६/१६</u> को उपस्थापित करे।</p>	<p align="right">                       अंचल अधिकारी,                      तोपचौंकी                 </p>

अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त। नोटिस का तामिला प्राप्त। नोटिस के आलोक में किसी जमाबंदी रैयत या उनके वंशज द्वारा आपत्ति और न ही राजस्व कागजात समर्पित करने हेतु समय का मॉग किया गया है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि मौजा जवाहरपुर मौजा नं० ५० खाता नं० १०५ प्लॉट नं० —, रकवा ०१/५५५५ से संबंधित है जो खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खाते की भूमि है। जिसका पंजी ॥ के जमाबंदी भोलुम नं० १ के पृष्ठ सं० १५५ में रैयत मीरु कौश पिता चररा कौश सा० जवाहरपुर के नाम से कायम है। उपरोक्त जमाबंदी के प्राधिकार कॉलमें में, बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के / अवैध लगान निर्धारण के आधार पर / सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि की विवरणी की सृजित जमाबंदी अवैध/ संदिग्ध प्रतीत होता है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे रद्द करने की अनुशंसा किया जाता है। साथ ही, अभिलेख की कार्रवाई को रखाव किया जाता है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजें।  
लेखापित एवं संशोधित।

  
15/12/20  
अंचल अधिकारी,  
तोपचौची।

  
15/12/20  
अंचल अधिकारी,  
तोपचौची।



25

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

- 1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- *गोरखु झांकी पित्त चतुराणा*
- 2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<i>गोरखु</i>	<i>५०</i>	<i>१०५</i>	<i>—</i>	<i>०१४०</i>

- 3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या..... पृष्ठ सं०-..... *१५५* पर बंयाम है
- 4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - *१९६५-६६*
- 5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- *मिलकरास सिद्धा*
- 6. किस सक्षम प्राधिकार/पत्तधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- *६३६/१९६५-६६*
- 7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-
- 8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती - *३१६००७*)
- 9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी) *३१६००७*

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<i>१</i>	<i>०५५१३</i>	<i>२६.०८.९२</i>	<i>१९९१-९२</i>
<i>२</i>	<i>१२८६१५७</i>	<i>१८.०५.२००५</i>	<i>१९९१-२००६ वर</i>

*K.C.*

*CI*



अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचौंची(धनबाद)

वाद अभिलेख सं० २५(५) / 2016-17 (अन्तर्गत धारा - 4(h), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम,

पिता - श्री २५ सांगी  
ग्राम - चतरा सांगी पो० जगेशपुर  
थाना - तोपचौंची जिला - धनबाद।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा जगेशपुर  
थाना नं० ५० खाता नं० १०५ प्लॉट नं० १ के पंजी ॥  
रकवा ०/१५ एकड़ से संबंधित आपके नाम से हल्का नं० ५ के पंजी ॥  
भाग के पृष्ठ १५५ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने प्र० अंचल  
निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त सदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव, आप उक्त संबंध में दिनांक १७/८/१६ को समय ११:०० बजे  
पूर्वा० में उक्त भूमि का रिटर्न -१, भूमिबंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा  
निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा  
निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो  
आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अघोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में  
उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको  
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते  
हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी  
जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि :- १०/८/१६

स्थान - तोपचौंची



अंचल अधिकारी

तोपचौंची

जगत चौधरी  
११-८-१६

इसके माध्यम से जांचित  
जिशा गिरा  
५/८/१६